

प्रारूप -6
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 10.12.2015 को प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी- देवलीखेत- ड्योड़ाखाल- सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि.मी. 10 से पस्तौड़वार तक मोटर मार्ग को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रुप सिंह मेहरा (वन दरोगा), राजस्व विभाग की ओर से श्री पान सिंह बिष्ट, पटवारी, प्रस्तावक विभाग की ओर से कु0 मीनू देवी, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री नन्दन सिंह, खण्डीय अमीन तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण सिंह बिष्ट के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वक्षेत्र स्थल / समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों / समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया हैं उसमें 5400 (मी0) नाप भूमि से, 675 (मी0) सिविल भूमि से, 1225 (मी) वन पंचायत भूमि तथा 550 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 4.86 हे0 नाप भूमि, 0.6075 हे0 सिविल भूमि, 1.1025 हे0 वन पंचायत भूमि तथा 0.495 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.205 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर 154 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 4550 (मी0) नाप भूमि से, 425 (मी0) सिविल भूमि से, 1600 (मी) वन पंचायत भूमि तथा 1675 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 4.095 हे0 नाप भूमि 0.3825 हे0 सिविल भूमि, 1.440 हे0 वन पंचायत भूमि तथा 1.5075 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.330 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 184 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन आरक्षित वन 02 कक्षा से गुजरने/में स्थित है। इन कक्षाओं की वर्तमान वन आच्छादन है एवं इन कक्षाओं में चीड़ प्रजाति के वन है। प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर शून्य प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ स्थल का GPS मान $29^{\circ}39'43.03''$ N, $79^{\circ}20'38.12''$ E है तथा यह स्थल ड्योड़ाखाल से प्रारम्भ होता है तथा समरेखन का अन्तिम स्थल चमड़खान है जिसका GPS मान $29^{\circ}40'10.64''$ N, $79^{\circ}18'36.71''$ E है। चुने गये समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान क्रमशः $29^{\circ}39'13.21''$ N, $79^{\circ}20'20.75''$ E, $29^{\circ}39'38.18''$ N, $79^{\circ}19'31.99''$ E, एवं $29^{\circ}39'51.05''$ N, $79^{\circ}19'10.87''$ E आदि है।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/ नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/ नहीं होगा।

इस समरेखन पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु ग्राम रानीखेत, पटवारीखेत तथा पटवारीखेत की नाप भूमि स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान क्रमशः $29^{\circ}39'48.59''$ N, $79^{\circ}19'29.65''$ E, $29^{\circ}39'27.59''$ N, $79^{\circ}20'4.60''$ E, $29^{\circ}39'37.09''$ N, $79^{\circ}20'27.82''$ E, एवं N, E है।

अन्य आवश्यक विवरण- शून्य

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

वन विभाग, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

राजस्व विभाग
रानीखेत

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत